



**राजस्थान सरकार**  
**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग**

जी३/१ राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन रेल्वे फाटक के पास, जयपुर

क्रमांक: एफ१ (७)(००९९९)डीपीसी/सान्याअवि/२०२५/

जयपुर, दिनांक: यथा ई-हस्ताक्षरित

**आदेश**

वित्त विभाग की अ.शा. टीप FD/E-2/DOP/(5)/2025-26 जयपुर दिनांक 17-10-2025 के अनुसरण में विभाग में स्वीकृत पदों का पुनर्गठन निर्धारित नवीन प्रतिशतता अनुसार किये जाने की स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी संख्या 162600003 दिनांक 07.01.2026 द्वारा प्रदान की गई है।

अतः प्राप्त स्वीकृति के अनुसरण में मंत्रालयिक संवर्ग के दिनांक 01.04.2025 की स्थिति में स्वीकृत पदों में कमी/वृद्धि करते हुए पदों का विभाजन गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र में निम्नानुसार किया जाता है—

| क्र.स. | पदनाम एवं वेतन लेवल               | दिनांक 01.04.2025 को कुल स्वीकृत पदों की संख्या | गैर अनुसूचित क्षेत्र                        |                        |                   | अनुसूचित क्षेत्र                            |                        |                   | नवीन निर्धारित पदों की संख्या |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------|
|        |                                   |                                                 | दिनांक 01.04.2025 को स्वीकृत पदों की संख्या | नवीन निर्धारित प्रतिशत | नवीन निर्धारित पद | दिनांक 01.04.2025 को स्वीकृत पदों की संख्या | नवीन निर्धारित प्रतिशत | नवीन निर्धारित पद |                               |
| 1      | 2                                 | 3                                               | 4                                           | 5                      | 6                 | 7                                           | 8                      | 9                 | (6+9)                         |
| 01     | संस्थापन अधिकारी (L-16)           | 08                                              | 08                                          | 1.6 %                  | 09 (+1)           | 0                                           | 1.6 %                  | 01 (+1)           | 10 (+2)                       |
| 02     | प्रशासनिक अधिकारी (L-12)          | 24                                              | 22                                          | 4.5 %                  | 26 (+4)           | 02                                          | 4.5 %                  | 03 (+1)           | 29 (+5)                       |
| 03     | अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (L-11) | 55                                              | 49                                          | 10 %                   | 59 (+10)          | 06                                          | 10 %                   | 06 (+0)           | 65 (+10)                      |
| 04     | सहायक प्रशासनिक अधिकारी (L-10)    | 105                                             | 95                                          | 17 %                   | 100 (+5)          | 10                                          | 17 %                   | 11 (+1)           | 111 (+6)                      |
| 05     | वरिष्ठ सहायक (L-08)               | 159+1*                                          | 144+1*                                      | 23 %                   | 134+1* (-10)      | 15                                          | 23 %                   | 15 (+0)           | 149+1* (-10)                  |
| 06     | कनिष्ठ सहायक (L-05)               | 297+1*                                          | 266+1*                                      | 43.9 %                 | 256+1* (-10)      | 31                                          | 43.9 %                 | 28 (-3)           | 284+1* (-13)                  |
|        | <b>कुल योग</b>                    | 650                                             | 586                                         | 100 %                  | 586               | 64                                          | 100 %                  | 64                | 650                           |

\* एक्स कैडर पद

उक्त पुनर्गठन वित्त (नियम) विभाग की आई.डी संख्या 332501661 दिनांक 10.11.2025 के अनुसरण में दिनांक 14.10.2025 से प्रभावी होगा। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(आशीष मोदी)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

जयपुर, दिनांक: यथा ई-हस्ताक्षरित

क्रमांक: एफ१ (७)(००९९९)डीपीसी/सान्याअवि/२०२५/

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सान्याअवि, राजस्थान जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, सत.एवं प्रशा, सान्याअवि, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, जयपुर।
- संयुक्त निदेशक (आई.टी) विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन किये जाने हेतु।
- प्रभारी संस्थापन पी/3 प्रशाखा, मुख्यावास।
- रक्षित पत्रावली।

Document certified by ASHISH MODI  
<ASHISHMODI.KSR@GMAIL.COM>

Digitally Signed by Ashish Modi

Designation: Director

Date :29-01-2026 11:18:09

RajKaj Ref No.:  
19855228

eSign DSC